न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 389/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

1. रमेश कुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. पुरूषोतम दास पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

––वादीगण

बनाम

1. राजकुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. पवन कुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. कृष्णा रानी पत्नी भूषण कुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. गौरव बंसल पुत्र भूषण कुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
6. सौरभ बंसल पुत्र भूषण कुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
7. दर्शना पत्नी पवनकुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित – 1. श्री कुलदीप सिह एडवोकेट (वादीगण)
2. सुरेन्द्र सिहाग एडवोकेट (प्रतिगण)

निर्णय दिनांक:– 28.8.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम व प्रतिवादी संख्या 4 के पति, 5 ता 6 के पिता भूषण कुमार के नाम संयुक्त खाता मे वाके चक 3 एल एल डबल्यू की खाता संख्या 14/20 की कुल 5.819 है0 भूमि मे से 1/23 हिस्सा यानि 0.253 है0 प्रत्येक के नाम 1.518 है0 भूमि व इसी चक की खातासंख्या 113/41 की 0.506 है0 मे 1/6 हिस्सा प्रत्येक व वाके चक 4 एल एल डबल्यू की खातासंख्या 125/34 के संयुक्त खाता की 2.277 है0 भूमि मे से 1.113 है0 बहिस्सा बराबर व वाके चक 1 आर आर डबल्यू की खाता संख्या 41/30 मे संयुक्त खाता की 3.517 है0 भूमि मे से प्रतिवादी [illegible] 2, 7 व वादी संख्या 2 भूषण कुमार के नाम 1.252 है0 भूमि व इसी चक की खाता संख्या [illegible] मे संयुक्त खाता की 5.060 है0 भूमि मे से 1/15 हिस्सा प्रत्येक कुल 2.024 है0 भूमि व वाके चक [illegible] खाता संख्या 70/51 की 1.771 है0 मे वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या [illegible] भूषण कुमार के 1/5 हिस्सा प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी है जो बसिलसिला विरासतन हम वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता से हम वारिसान पर औद हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 4 के पति व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पिता भूषण कुमार फौत हो गए है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 है तथा वर्णित आराजी हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी है जिस कारण हमे बर्थ राईट हासिल है चूंकि अब हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वर्णित आराजी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.09 14:51:15
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस मे कब्जा काश्त की सुविधा अनुसार भूमि का अर्सा पूर्व घरू बंटवारा किया है मुताबिक घरू बंटवारा (पारिवारिक समझौता) हम वादी संख्या 1 रमेश कुमार व वादी संख्या 2 पुरूषोतम दास व प्रतिवादी संख्या 2 पवन कुमार व प्रतिवादी संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार को वाके चक 4 एल एल डबल्यू की खाता संख्या 125/34 मे संयुक्त खाता की कुल 2.277है0 भूमि मे से स्वय के नाम व वादी संख्या 1 व भूषण कुमार के नाम दर्ज 1.113 है0 भूमि का व वाके चक 1 आर आर डबल्यू की खाता संख्या 78/46 मे संयुक्त खाता की 5.060 है0 भूमि मे से स्वयं के नाम व प्रतिवादी संख्या 1 व भूषण कुमार प्रत्येक के नाम दर्ज 1/15 हिस्सा की कुल 2.024 है0 भूमि का व वाके चक 18 एम के एस की खाता संख्या 70/51 मे वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व भूषण कुमार के नाम दर्ज 1.771 है0 भूमि हिस्सा बराबर के व हम वादीगण संख्या 1 रमेश कुमार व वादी संख्या 2 पुरूषोतम दास व प्रतिवादी संख्या 2 पवन कुमार प्रतिवादी संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार व प्रतिवादी संख्या 7 दर्शना को वाके चक 1 आर आर डबल्यू की संयुक्त खाता की खाता संख्या 41/30 की कुल 3.517 है0 भूमि मे से वादी संख्या 2 व प्रतिवादी 1, 2, 3 व भूषण कुमार के नाम दर्ज 1.252 है0 भूमि मे से वादी संख्या 1 रमेश कुमार को 313/3517 हिस्सा, वादी संख्या 2 पुरूषोतम दास यानि 313/3517 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार का 313/3517 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 पवन कुमार का 157/3517 हिस्सा व पतिवादी संख्या 7 दर्शना को 156/3517 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 कृष्णा रानी, गौरव बंसल, सौरभ बंसल को वाके चक 3 एल एल डबल्यू की खाता संख्या 113/41 मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व भूषण कुमार के नाम दर्ज 0.506 है0 भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार को 253/506 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 कृष्णा रानी का 085/506 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 गौरव बंसल का 84/506 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 सौरभ बंसल का 84/506 हिस्सा भूमि व इसी चक की खाता संख्या 14/20 मे संयुक्त खाता की 5.819 है0 भूमि मे से प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3 व वादीगण व भूषण कुमार के नाम दर्ज 1.518 है0 भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 को 755/5819 हिस्सा भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 4 कृष्णा रानी को 49/5819 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 गौरव बंसल को 253/5819 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 सौरभ बंसल को 253/5819 हिस्सा भूमि व वादीगण संख्या 1 रमेश कुमार, वादी संख्या 2 पुरूषोतम दास, व प्रतिवादी संख्या 2 पवन कुमार व प्रतिवादी संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार को कुल 0.008 है0 (प्रत्येक को 0.002 है0 यानि /5819 हिस्सा) भूमि प्राप्त हुई परन्तु राजस्व रिकार्ड मे मुताबिक घरू बंटवारा अंकन ना होन के कारण हम वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस मे सींव बट व रकम राज का विवाद रहता है जिस कारण हम वादीगण उपरोक्तानुसार ही घोषणा करवाकर वाके चक 3 एल एल डबल्यू खाता संख्या 14/20 से भूषण कुमार का नाम व इसी चक की खाता संख्या 113/41 से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 व भूषण कुमार का नाम व वाके चक 4 एल एल डबल्यू की खाता संख्या 125/34 व वाके चक 1 आर आर डबल्यू की खाता संख्या 41/30 व इसी चक की खाता संख्या 78/46 व वाके चक 18 एम के एस की खाता संख्या 70/51 से प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार व भूषण कुमार का नाम कलमजन किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद— दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रति.सं. 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 8 राज्य पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोष प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी सख्या 1 ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पवन ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 3 एलएलडबल्यू खाता सं. 14/20 व खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.09 14:51:1
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

/41 व चक 4 एलएलडब्ल्यू 132/125 एवं चक 1 आरआरडब्ल्यू खाता संख्या 41/30 व खाता संख्या 78/46 तथा चक 18 एमकेएस खाता संख्या 70/51 की जमाबंदी प्रदर्श करवाई गई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 3 एलएलडब्ल्यू खाता स. 14/20 व खाता संख्या 113/41 व चक 4 एलएलडब्ल्यू 132/125 एवं चक 1 आरआरडब्ल्यू खाता संख्या 41/30 व खाता संख्या 78/46 तथा चक 18 एमकेएस खाता संख्या 70/51 मे वादग्रस्त भूमि वादीगण/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य मे वकील वादीगण ने चक 3 एलएलडब्ल्यू खाता स. 14/20 व खाता संख्या 113/41 व चक 4 एलएलडब्ल्यू 132/125 एव चक 1 आरआरडब्ल्यू खाता संख्या 41/30 व खाता संख्या 78/46 तथा चक 18 एमकेएस खाता संख्या 70/51 की प्रमाणित जमाबन्दी करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एव प्रतिवादीगण 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार वादीगण/प्रतिवादीगण के नाम है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस मे आराजी की घोषणा बाबत राजीनामा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण मे तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया गया। प्रकरण मे राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अत वाद वादी उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि-- वादी संख्या 1 रमेश कुमार व वादी संख्या 2 पुरूषोतम दास व प्रतिवादी संख्या 2 पवन कुमार व प्रतिवादी संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार को वाके चक 4 एल एल डबल्यू की खाता संख्या 125/34 मे संयुक्त खाता की कुल 2.277है0 भूमि मे से स्वय के नाम व प्रतिवादी संख्या 1 व भूषण कुमार के नाम दर्ज 1.113 है0 भूमि का व वाके चक 1 आर आर डबल्यू की खाता संख्या 78/46 मे संयुक्त खाता की 5.060 है0 भूमि मे से स्वयं के नाम व प्रतिवादी संख्या 1 व भूषण कुमार प्रत्येक के नाम दर्ज 1/15 हिस्सा की कुल 2.024 है0 भूमि का व वाके चक 18 एम के एस की खाता संख्या 70/51 मे वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व भूषण कुमार के नाम दर्ज 1.771 है0 भूमि बहिस्सा बराबर के व हम वादीगण संख्या 1 रमेश कुमार व वादी संख्या 2 पुरुषोतम दास व प्रतिवादी संख्या 2 पवन कुमार प्रतिवादी संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार व प्रतिवादी संख्या 7 दर्शना को वाके चक 1 आर आर डबल्यू की संयुक्त खाता की खाता संख्या 41/30 की कुल 3.517 है0 भूमि मे से वादी संख्या 2 व प्रतिवादी 1, 2, 7 व भूषण कुमार के नाम दर्ज 1.252 है0 भूमि मे से वादी संख्या 1 रमेश कुमार को 313/3517 हिस्सा, वादी संख्या 2 पुरुषोतम दास यानि 313/3517 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार का 313/3517 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 पवन कुमार का 157/3517 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 दर्शना को 156/3517 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 कृष्णा रानी, गौरव बंसल, सौरभ बंसल को वाके चक 3 एल एल डबल्यू खाता संख्या 113/41 में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व भूषण कुमार के नाम दर्ज 0.506 है. भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार को 0.506 है. व इसी चक के खाता संख्या 14/20 मे संयुक्त खाता की कुल 5.819 है. भूमि मे से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व 3 वादीगण व भूषण कुमार के नाम दर्ज 1.518 है. भूमि मे से प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ra... Meena
Date: 2024.09.09 14:...
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

502/5819 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 गौरव बंसल को 504/5819 प्रतिवादी संख्या 6 सौरभ बंसल 504/5819 हिस्सा भूमि व वादीगण संख्या 1 रमेश कुमार वादी संख्या 2 पुरूषोत्तमदास व प्रतिवादी 2 पवन कुमार व प्रतिवादी संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार को कुल 0.008 (प्रत्येक को 0.002 यानि कि 819 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर वाके चक 3 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या 20 से भूषण कुमार का नाम व इसी चक के खाता संख्या 113/41 से वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 षण कुमार का व वाके चक 4 एल एल डबल्यू की खाता संख्या 125/34 व वाके चक 1 आर आर की खाता संख्या 41/30 व इसी चक की खाता संख्या 78/46 व वाके चक 18 एम के एम की ख्या 70/51 से प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार व भूषण कुमार का नाम कलमजन किये जाने का किये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Ve[rified]

Digitally signed by R[...]
Meena
Date: 2024.09.09 14[...]
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 389/2024

रमेश कुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
पुरूषोतम दास पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

––वादीगण

बनाम

राजकुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
पवन कुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
सुरेन्द्र कुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
कृष्णा रानी पत्नी भूषण कुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
गौरव बंसल पुत्र भूषण कुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
सौरभ बंसल पुत्र भूषण कुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
दर्शना पत्नी पवनकुमार पुत्र धन्नाराम जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
तहसीलदार राजस्व संगरिया।

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप सिह एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 7 श्री सुरेन्द्र सिहाग एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि :– वादी संख्या 1 रमेश कुमार व वादी संख्या 2 पुरूषोतम दास व प्रतिवादी संख्या 2 पवन कुमार व प्रतिवादी संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार को वाके चक 4 एल एल डबल्यू की खाता संख्या 125/34 मे संयुक्त खाता की कुल 2.277है0 भूमि मे से स्वयं के नाम वं प्रतिवादी संख्या 1 व भूषण कुमार के नाम दर्ज 1.113 है0 भूमि का व वाके चक 1 आर आर डबल्यू की खाता संख्या 78/46 मे संयुक्त खाता की 5.060 है0 भूमि मे से स्वयं के नाम व प्रतिवादी संख्या 1 व भूषण कुमार प्रत्येक के नाम दर्ज 1/15 हिस्सा की कुल 2.024 है0 भूमि का व वाके चक 18 एम के एस की खाता संख्या 70/51 मे वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व भूषण कुमार के नाम दर्ज 1.771 है0 भूमि बहिस्सा बराबर के व हम वादीगण संख्या 1 रमेश कुमार व वादी संख्या 2 पुरूषोतम दास व प्रतिवादी संख्या 2 पवन कुमार प्रतिवादी संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार व प्रतिवादी संख्या 7 दर्शना को वाके चक 1 आर आर डबल्यू की संयुक्त खाता की खाता संख्या 41/30 की कुल 3.517 है0 भूमि ... वादी संख्या ... प्रतिवादी 1, 2, 7 व भूषण कुमार के नाम दर्ज 1.252 है0 भूमि मे से वादी संख्या 1 रमेश ... को 313/3517 हिस्सा, वादी संख्या 2 पुरूषोतम दास यानि 313/3517 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार का 313/3517 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 पवन कुमार का 157/3517 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 दर्शना को 156/3517 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 कृष्णा ... गौरव बंसल, सौरभ बंसल को वाके चक 3 एल एल डबल्यू खाता संख्या 113/41 में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व भूषण कुमार के नाम दर्ज 0.506 है. भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार को 0.506 है. व इसी चक के खाता संख्या 14/20 मे संयुक्त खाता की कुल 5.819 है. भूमि मे से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व 3 वादीगण व भूषण कुमार के नाम दर्ज 1.518 है. भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 को 502/5819 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 गौरव बंसल को 504/5819 प्रतिवादी संख्या 6 सोरभ बसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.09 14:51:1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

504/5819 हिस्सा भूमि व वादीगण संख्या 1 रमेश कुमार वादी संख्या 2 [illegible]
[illegible] 2 पवन कुमार व प्रतिवादी संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार को कुल [illegible]
5819 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर वाके चक 3 [illegible]
/20 से भुषण कुमार का नाम व इसी चक के खाता संख्या 113/41 से वादीगण प्रतिवादी [illegible]
भूषण कुमार का व वाके चक 4 एल एल डबल्यू की खाता संख्या 125/34 व वाके चक [illegible]
[illegible] की खाता संख्या 41/30 व इसी चक की खाता संख्या 78/46 व वाके चक 18 एम के एम के
[illegible] संख्या 70/51 से प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार व भूषण कुमार का नाम कलमजन किये जाने के
[illegible] किये जाते है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.08.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku[illegible]
Meena
Date: 2024.09.09 14:51:15 IS[illegible]
Reason: SelfAttested